विविध बैंक प्रकरण सं. 41/2020 (RCMS 2020/00100) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री विनित बंसल प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक **शाखा–नई मण्डी, घड़साना,** जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स शुभम मेडिकल स्टोर – प्रो. श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री श्याम लाल 2. श्रीमती चन्द्रकांता पत्नी श्री जगजीत सिंह निवासी गांव 2 एसटीआर, वार्ड नं0 05, मेहताब कॉलोनी, घड़साना मंडी, जिला श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स शुभम मेडिकल स्टोर – प्रो. श्री जगजीत सिंह एएवं चन्द्रकांता को ऋण सुविधा के रूप में 11.25/– लाख रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 10.12.2016 स्वीकृत किया था ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चंद्रकांता पत्नी श्री जगजीत सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 90 (क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) बुक नं 41, गांव चक 2 एसटीआर, मेहताब कॉलोनी, घड़साना मंडी, जिला श्रीगांगनगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.05.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 27.05.2019 को 10,53,913/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 21.06.2019 को उ[illegible] कराया

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 25.06.2019 को भिजवाया गया है तथा दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डिया एक्सप्रैस में दिनांक 27.08.2019 को धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन भी करवाया गया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्रीमती चन्द्रकांता पत्नी श्री जगजीत सिंह **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 90,(क्षेत्रफल 15' गुणा 50') बुक नं. 41, गांव चक 2 एसटीआर, महताब कॉलोनी, घड़साना** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स शुभम मेडिकल स्टोर –प्रो. जगजीत सिंह एवं श्रीमती चन्द्रकांता को 11.25/– लाख रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 10.12.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्रीमती चंन्द्रकान्ता **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी अचल सम्पत्ति सम्पत्ति पट्टा नं. 90,(क्षेत्रफल 15' गुणा 50') बुक नं. 41, गांव चक 2 एसटीआर, महताब कॉलोनी, घड़साना** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **27.05.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.06.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 25.06.2019 को भेजे जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं नोटिस की तामील रजिस्टर्ड डाक से नहीं होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस को बंधक सम्पत्ति पर चस्पांदगी कर, प्रकाशन दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 27.08.2019 को करवाया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी रीमती चन्द्रकांता **की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 90,(क्षेत्रफल 15' गुणा 50') बुक नं. 41, गांव चक 2 एसटीआर, महताब कॉलोनी, घड़साना** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.06.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.06.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स शुभम मेडिकल स्टोर–प्रो. जगजीत सिंह एवं चन्द्रकांता को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 25.06.2019 को भिजवाये गये है, परन्तु उनकी तामील अप्रार्थीगण पर नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस को बंधक सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रो सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 27.08.2019 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की अप्रार्थीगण को तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी श्रीमती चन्द्रकांता की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 90,(क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) बुक नं. 41, गांव चक 2 एसटीआर, महताब कॉलोनी, घड़साना** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सभी संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नई मण्डी घड़साना का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त संपति पट्टा नं. 90 (क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) बुक नं. 41, गांव चक 2 एसटीआर, मेहताब कॉलोनी, घड़साना मंडी, जिला श्रीगंगानगर का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर